परमोद कोहली, जे.

राम ग्रैंडर,–याचिककर्ता

बनाम

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक और

अन्य,–प्रतिद्वंद्वी

1 सी डब्ल्यू पी संख्या 7050/2009

17 सितंबर, 2010

भारतीय संविधान, 1950–धारा 226–लेक्चरर्स के पदों के चयन–चयन समिति की सिफारिशों पर आधारित चयन बिना उम्मीदवारों के बीच योग्यता की निर्धारण किए–साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर कोई मेरिट सूची तैयार नहीं की गई–ना ही साक्षात्कार के लिए कोई अंक प्रदान किए गए और ना ही किसी अन्य तरीके से उम्मीदवारों को ग्रेडित किया गया–ऐसे किसी भी योग्य, वैध और तर्कसंगत मानकों का अनुपालन किए बिना हुए किए गए चयन को कानूनी रूप से स्थिर नहीं किया जा सकता–याचिका को मंजूर, प्रतिस्थापन किए गए उत्तराधिकारीयों का चयन रद्द किया गया।

यह हैल्ड है कि संविधान समिति ने उत्तरदाता के तहत जानकारी हासिल करने के लिए आवेदन के अनुच्छेद 2 के उत्तर के रूप में कोई मेरिट तैयार नहीं की है। यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि चयन किसी भी योग्य, वैध और तर्कसंगत मानकों का अनुपालन किए बिना और यहां तक कि प्रतिस्थापन करने वाले उम्मीदवारों की गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं किया गया है। यह गलत नहीं होगा कहना कि पूरा चयन एक हंसी है और इसे 'चयन करें और चुनें' विधि का अनुप्रयोग करके किया गया है। इस प्रकार के चयन को स्थायी रूप से स्थायी नहीं किया जा सकता है, भले ही चयनित उम्मीदवारों को नौकरी के लिए सर्वोत्तम माना जाए।

(पैरा 6)

जे. वी. यादव, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

अनुराग गोयल, वकील, प्रतिद्वंद्वी के लिए।

परमोद कोहली, ज. (उच्चारित)

(1) विवाद में शामिल और पक्षों के वकीलों की सहमति के साथ, इस याचिका को स्वयं में ही समाप्त किया जाता है।

(2) प्रतिस्थापन किए जाने के बावजूद प्रक्रिया पूर्ण करने के बिना, उत्तरदाता संख्या 1 - विश्वविद्यालय ने प्रबंधन अध्ययन और अनुसंधान संस्थान में पांच लेक्चरर्स के पदों के लिए विज्ञापन किया,–विज्ञापन संख्या 1 के अनुसार 2008। पांच पदों में से तीन पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बिना, पद पुनः विज्ञापित हुए,–विज्ञापन संख्या 3 के अनुसार 2008। आगामी विज्ञापन में यह निर्धारित किया गया था कि पहले विज्ञापन के प्रति आवेदन करने वाले उम्मीदवार फिर से आवेदन करने की

आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता ने पहले विज्ञापन के प्रति आवेदन किया था। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता पूर्णतः पात्र हैं। शैक्षिक योग्यता के अलावा, याचिकाकर्ता एल.एल.बी. पेशेवर, बी.एड हैं और उन्होंने 1996 में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चरशिप के लिए यूजीसी परीक्षा और पात्रता जो तत्व पारित किए हैं, 1995 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से लेक्चरशिप के लिए राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा और 2004 में यूजीसी-नेट परीक्षा की है। याचिकाकर्ता ने बीएम टूअर्स एंड ट्रैवल्स प्रा. लि., न्यू दिल्ली में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में भी काम किया है। याचिकाकर्ता को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया,–पत्र दिनांक 19 सितंबर, 2008 को। साक्षात्कार 6 अक्टूबर, 2008 को हुआ था। चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद, अनुसूचित जाति के तहत प्राइवेट उत्तरदाता को पद के लिए चयन किया गया। प्रतीत हो रहा है कि चयन के परिणाम से संतुष्ट नहीं होकर याचिकाकर्ता ने यूजीसी के तहत उम्मीदवारों के द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंक और मेरिट स्थिति आदि के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए अधिकार कानून के तहत प्राप्त की थी।–पत्र दिनांक 2 जनवरी, 2009 को। आधिकारिक उत्तरदाताओं ने इस सूचना प्रदान की।–उसकी उत्तर दिनांक 19 जनवरी, 2009 (परिशिष्ट P-10)। उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी से यह साबित हुआ है कि साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर कोई मेरिट सूची तैयार नहीं की गई थी और चयन किया गया था बिना इंटर से मेरिट निर्धारित किए जाए और किसी तर्कसंगत और वैध मानकों का अनुपालन किए बिना।

(3) मैंने पार्टियों के वकीलों की बड़ी चर्चा सुनी है। यह सत्य है कि चयन समिति को चयन करने के लिए अपने स्वयं के मानक तैयार करने का अधिकार है, यदि कोई निर्धारित नियम या मार्गदर्शिकाओं के तहत नहीं है। हालांकि, मानक को योग्य, तर्कसंगत और अनिर्णायक होना चाहिए। याचिका के द्वारा दी गई लिखित बयानों से स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धीयों की ओर से कोई कानूनी मानक मौजूद नहीं है और चयन के लिए कोई मानक नहीं है। उत्तरदाताओं ने यह कहा है कि चयन समिति की सिफारिश के आधार पर चयन किया गया है। चयन समिति की सिफारिश को प्राप्त करने पर, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने चयन समिति की सिफारिश को मंजूरी देने का संकल्प किया। यह भी खुलासा हुआ है कि पांच पदों के लिए कुल 58 आवेदन प्राप्त हुए थे, 21 उम्मीदवार योग्य पाए गए थे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, सभी योग्य उम्मीदवारों को 6 अक्टूबर, 2008 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिसमें ESM श्रेणी को छोड़कर 17 उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल हुए। चयन समिति ने उम्मीदवारों की साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर कोई मेरिट सूची तैयार नहीं की और केवल उपाधिकृत प्रतिस्पर्धीयों के लिए उत्तरदाता संख्या 3 और 4 की सिफारिश की। चयन के रिकॉर्ड को मांगा गया। चयन के रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि न तो साक्षात्कार और/या शैक्षिक योग्यता के लिए कोई अंक प्रदान किए गए थे और न ही उम्मीदवारों को किसी अन्य तरीके से ग्रेडित किया गया था। यह स्पष्ट है कि चयन के लिए कैसे और कौन-कौनसा मोड अपनाया गया है, यह एक बंद राज है। कोई वैध, तर्कसंगत और न्यायसंगत मानक नहीं तय किया गया था और चयन करने के लिए उम्मीदवारों की अंतर से योग्यता का कोई रिकॉर्ड बनाए गए थे।

4) जवाब में स्वीकृत है कि कोई मेरिट सूची तैयार नहीं की गई थी। उम्मीदवारों की अंतर से योग्यता को तैयार किए बिना, कैसे निजी उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता से बेहतर माना गया, क्योंकि कहीं भी कोई अंक प्रकट नहीं हैं और चयन के रिकॉर्ड से भी यह प्रकट नहीं होता है। उत्तरदाता/चयन समिति की ओर से पूरी तरह से विवादात्मकता की पूर्णता को स्वीकृत करने वाला है उत्तर दिए जाने वाले सही/चयन समिति की ओर से पूरी तरह से विवादात्मकता को स्वीकृत करने वाला है। सही/चयन समिति की ओर से विवादात्मकता को स्वीकृत करने वाला है। सही/चयन समिति की ओर से विवादात्मकता को स्वीकृत करने वाला है। सही/चयन समिति की ओर से विवादात्मकता को स्वीकृत करने वाला है।

(4) उत्तर में स्वीकृत है कि कोई मेरिट सूची तैयार नहीं की गई थी। उम्मीदवारों के अंतर से मेरिट को तैयार किए बिना, किस प्रकार निजी उत्तरदाताओं का मूल्यांकन पैटीशनर से बेहतर किया गया था, क्योंकि कहीं भी कोई अंक प्रकट नहीं हो रहे हैं और न तो इसे चयन के रिकॉर्ड से प्रकट किया जा रहा है। सूचना के अधिकार कानून के तहत सवाल संख्या 2 का उत्तर यहां प्रस्तुत है:–
सवाल

2. उन विवरणों के साथ मेरिट सूची प्रदान करें जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2008 और 3/2008 के तहत मनोविज्ञान और प्रबंधन के लेक्चरर्स के पद के लिए चयन और अचयनित उम्मीदवारों के हित में प्रदान की गई अंकों के विवरण।
जवाब
2. समिति की क्रियावली/क्रियावलियों को यहाँ संलग्न किया गया है, जिसमें चयन समिति ने कोई भी मेरिट सूची तैयार नहीं की है।

(5) उपर्युक्त उत्तर किसी भी चयन के तरीके और विधि के बारे में किसी भी प्रकार की अनुमान नहीं छोड़ता है, बल्कि यह स्पष्ट है कि चयन सेवा न्यायशास्त्र के सभी स्थापित कैननों के खिलाफ किया गया है। यह कैसे हो सकता है कि उम्मीदवारों की अंतर से मूल्यांकन किए बिना चयन कैसे किया जा सकता है, यह प्रस्तुत मामले के लिए एकमात्र प्रश्न है।
(6) स्वीकृति है कि चयन समिति ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 2 के उत्तर के रूप में कोई मेरिट तैयार नहीं किया है। यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि चयन किसी भी योग्य, वैध और तर्कसंगत मानकों का अनुपालन किए बिना हुआ है, या फिर दिखाई गई उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन किए बिना हुआ है। यह गलत नहीं होगा कि पूरा चयन एक ठगी है और इसे 'चयन करें और चुनें' विधि का अनुप्रयोग करके किया गया है। इस प्रकार के चयन को स्थायी रूप से स्थायी नहीं किया जा सकता है, भले ही चयनित उम्मीदवारों को नौकरी के लिए सर्वोत्तम माना जाए।

(7) याचिका इस प्रकार स्वीकृत है, निम्नलिखित मार्गदर्शन के साथ:–

(i) उत्तरदाताओं संख्या 3 और 4 का चयन/नियुक्ति यहां तक कि स्वीकृत होता है;

(ii) विश्वविद्यालय उसी पद के लिए चयन करने के लिए एक योग्य, न्यायसंगत, अनियमित और वैध मानक तैयार करेगा और उसे केवल विश्वविद्यालय कैम्पस के अंदर ही नहीं, बल्कि क्षेत्र से संबंधित किसी एक अंग्रेजी अखबार और एक स्थानीय भाषा वाले अखबार में विज्ञप्ति जारी करके इसे सूचित करेगा;

(iii) अधिसूचित मानकों के अनुसार चार महीने के भीतर सूचित किए गए मानकों के अनुसार नई चयन होगा। पैटीशनर और विज्ञापन के समय योग्य सभी अन्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होगा, यहां तक कि उसके बाद भी उनमें से कोई भी व्यक्ति अधिक आयु इत्यादि के कारण अयोग्य नहीं हो गा।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भुवनेश सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नारनौल, हरियाणा